कांगड़ा बैंक पत्रिका

Kangra Bank Patrika

(A Mouth Piece of the Kangra Cooperative Bank Ltd.)

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058
Ph. : 011-25500800, 25515969, Telefax : 011-25525565
E-mail : md@kangrabank.com

वर्ष 5, अंक 6
जुलाई, 2018

सम्पादक मण्डल
अध्यक्ष
लक्ष्मी दास
9968279250

सम्पादक
बी. आर. शर्मा
9312223237

प्रकाशक एवं मुद्रक
अतर चन्द परमार
9810742649

सदस्य
स्नेह लता शर्मा
9810509821

सदस्य
जितेन्द्र शर्मा
9971338889

पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं। उनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

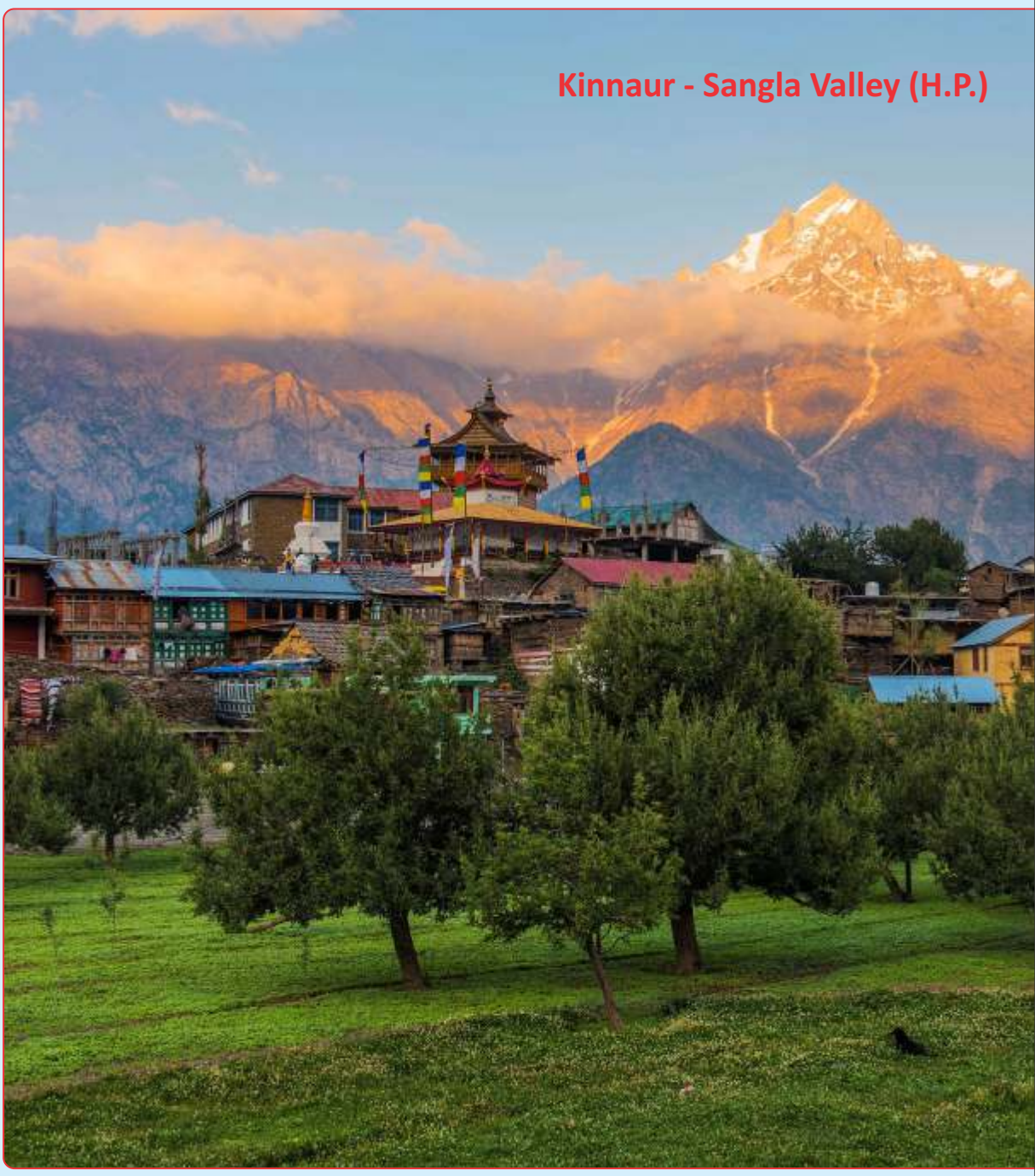

आपकी समृद्धि, हमारा संकल्प, आओ मिलकर साथ बढ़ें
दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

सम्पादकीय

- बी. आर. शर्मा

सहकारी बैंक का एन.पी.ए. तथा सदस्यों का उत्तरदायित्व

लगभग दो दशक से भी अधिक समय पहिले NPA की व्यवस्था शुरू की गई थी तथा तभी से यह बैंकों की चिन्ता का कारण बनी हुई है। NPA क्या है? ऐसा ASSET जो PERFORM नही कर रहा है अर्थात् जिससे बैंक को कोई आय नही हो रही हो NPA कहलाता है। इस वर्ग में बैंक द्वारा दिये गये ऋण तथा बैंक द्वारा की गई INVESTMENTS आती हैं। NPA व्यवस्था शुरू होने से पहिले बैंक जब अपना वार्षिक लाभ निकालता था तो ऋण से प्राप्त हुआ ब्याज तथा जो ब्याज प्राप्त होना है परन्तु DUE हो गया है इनकम में डाल देते थे। इसमें कमी यह थी कि जो इनकम प्राप्त हो चुकी है वह तो ठीक है पर जो DUE तो है परन्तु बैंक के पास अभी आई नहीं है वह भी इनकम मे डाल दी जाती थी। रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया कि जो इनकम अभी तक बैंक के पास आई नही है परन्तु लाभ निकालने के लिये इनकम दिखाई गई है उतनी राशि का प्रावधान किया जाए ताकि बैंक द्वारा दिखाया गया लाभ वास्तविक लाभ हो। सम्भवतः यह व्यवस्था भी कारगर साबित नही हुई तथा तब NPA की व्यवस्था लागू की गई। NPA की व्यवस्था बैंक पर दोहरी मार करती है। बैंक का लाभ निकालने के लिए केवल वही इनकम ली जाती है जो बैंक के पास प्राप्त हो चुकी हो। पहिले की तरह जो इनकम DUE तो है परन्तु बैंक के पास अभी आई नहीं है वह लाभ निकालने के लिये नही गिनी जाती। दूसरी मार तब पड़ती है जब NPA की राशि का भी NORMS के हिसाब से प्रावधान करना पड़ता है। क्योंकि NPA के कारण बैंक के लाभ पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिये सभी बैंक सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि उनका NPA कम से कम रहे। सहकारी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक का नियत्रण तो रहता है, परन्तु उन्हें कोई आर्थिक सहायता नही मिलती, इसलिये उन्हें NPA के ऊपर नियन्त्रण करने के लिए उन सभी निम्नलिखित विकल्पों को काम में लाना चाहिए जो डिफाल्टर सदस्यों से वसूली करने में सहायक होते हैं।

1. आरविट्रेशन द्वारा
2. NIA के सैक्शन 138 द्वारा कारवाई करने से
3. कार्यालयों से कटौती करवा कर
4. सरफेसी (SARFAESI) एक्ट को लागू कर प्रापर्टी को बेचकर।

उपरोक्त उपायों को लागू करने की उचित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि डिफाल्टर सदस्य पर शीघ्र कारवाई की जाए। जितनी देर से कारवाई की जाएगी वसूली होने के चान्स कम होते जाऐंगे। यदि गाड़ी के ऋण की वसूली की कारवाई देर से होगी तो उसकी कीमत कम होती जायेगी तथा शेष बची राशि को माफ करना पड़ेगा। NPA केसों की शीध्र पहचान की जाए तथा उन पर यथोचित कारवाई निरन्तर की जाए तभी इस राशि में कमी आयेगी। NPA के ऊपर कारवाई यथा समय तथा निरन्तर की जाए इसके लिए एक सीनियर पद्‌धिकारियों की उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाये जो निरन्तर स्थिति को मौनिटर करें। उपरोक्त कारवाई तो बैंक की ओर से की जाती है। NPA कम करने में ऋण लेने वाले सदस्य भी सहायक हो सकते हैं। कुछ सदस्य नियमित रूप से ऋण की किश्तें देते हैं, परन्तु अपनी किश्त की निर्धारित राशि से कम देते हैं। यदि मासिक किश्त 12000/-रू. है और वे नियमित रूप से 10000/-रू. दे रहें हैं तो भी 90 दिन के बाद ऋण NPA की CATEGORY में आ जाएगा इसलिए सदस्यों को ऋण की उतनी ही राशि का ऋण लेना चाहिए जिसकी मासिक किश्त वे प्रतिमास आसानी से दे सकें। एक और उपाय बैंक कर सकता

है कि ऋणी सदस्य को मासिक किश्त के DUE होने के पाँच दिन पहिले SMS द्वारा सूचित करें की आपकी इस तारीख को इतनी राशि की किश्त DUE है तथा SMS, DUE DATE के दो तीन दिन बाद करे की आपकी किश्त नहीं पहुँची है।

जहाँ तक INVESTMENTS का प्रश्न है यह पूरी तरह बैंक की सावधानी पर निर्भर करता है। बैंक में सीनियर अधिकारियों की एक टीम इसका फैसला करे कि कौन सी INVESTMENT उपयुक्त तथा सुरिक्षत होगी जिसमें ब्याज की अदायगी में कोई डिफाल्ट नही होगा निदेशक मण्डल CEO से HALF YEARLY एक सर्टीफिकेट ले जिसमें लिखा हो की सभी INVSTMENTS पर DUE ब्याज नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है।

मेरा मानना है यदि बैंक इस समस्या के ऊपर यथोचित ध्यान दे, निरन्तर मानिटरिंग करे तो इस पर काफी नियन्त्रण किया जा सकता है। बहुत से बैंको की खराब आर्थिक स्थिति का कारण NPA का निर्धारित सीमा से अधिक होना है। कई बैंक NPA के कारण बन्द होने के कगार पर पहुँच गए हैं तथा कई बैंक ऐसे भी हैं जिनका ग्रास NPA 2-3% तक है। इसका अर्थ है कि यदि समय पर कारवाई की जाए तथा निरन्तर उसको FOLLOW किया जाए तो NPA की समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

******

स्वागतम्

बैंक अपनी उत्कृष्ट सेवायें अपने सदस्य ग्राहकों को हमेशा देता रहे और बैंक का निरंतर विकास होता रहे इसके लिये बैंक निदेशक मण्डल समय समय पर नए सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारियों और अधिकारियों का चयन करके अपने मानव संसाधन (Human Resources) समूह को सुदढ़ करने की कोशिश करता रहा है। इसी श्रृंखला के तहत बैंक में उप -महा प्रबंधक (Deputy General Manager) के पद पर श्री अजय कुमार सक्सेना जी की नियुक्ति की गयी है। आशा है बैंक को श्री अजय कुमार सक्सेना जी के लम्बे अनुभव का फायदा जरूर मिलेगा ।

लधु कथा

मैं पैदल वापस घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज लगा हुआ था। पास जाकर देखा, लिखा था , कृपया पढ़ें

''इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गंवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं ।'' .....

यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता याद रखा। यह उस गली के आखिरी में एक घर था। वहाँ जाकर आवाज लगाया तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे-धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वह अकेली रहती है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता ।

''माँ जी'', मैंने कहा - ''आपका खोया हुआ 50 का नोट मुझे मिला है उसे देने आया हूँ।''

यह सुन वह वृद्धा रोने लगी।

''बेटा, अभी तक करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 के नोट दे चुके हैं। मै पढ़ी-लिखी नहीं हूँ,। ठीक से दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है।''

बहुत कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए। पर एक विनती की- '' बेटा, वह मैंने नहीं लिखा है। किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते-जाते उसे फाड़कर फेंक देना बेटा।''

मैनें हाँ कहकर टाल तो दिया पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों से भी ''माँ'' ने यही कहा होगा। किसी ने भी नहीं फाड़ा। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंडा। सहायता के तो बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे हृदय को छू गई।

और मैंने भी उस कागज को फाड़ा नहीं। मदद के तरीके कई हैं सिर्फ कर्म करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए।

समय गूंगा नहीं,
वक्त पर बताता है,
बस मौन है;
किसका कौन है?'

साभार :- फेसबुक

सहकारी बैंक

- लक्ष्मीदास

वर्ष 2017-18 के जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार, सहकारी बैंको की हालत राष्ट्रीय कृत बैंकों और निजि क्षेत्र में चलने वाले बैंकों से अच्छी है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सहकारी बैंकों का NPA बहुत कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सहकारी बैंकों के NPA की राष्ट्रीय औसत 6.8% तथा नैट 4.6% है जबकि सरकारी बैंकों का आंकडा कहीं ज्यादा है। इसी तरह सहकारी बैंको का C.D. अनुपात भी सरकारी बैंकों की तुलना में बहुत अच्छा है। यह सही है कि किसी किसी सहकारी बैंक की स्थिति कष्ट दायक है। लेकिन कुल मिलाकर सहकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी है। जब हम स्थिति अच्छा होने की बात करते हैं तो इसका अर्थ नहीं कि हमारी समस्याएं नहीं हैं या हमारे अंदर सुधार की गुंजायश नही है। सुधार की गुंजायश तो हमेशा बनी रहती है। उसकी कोई सीमा नही होती। लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो हमें समाधान होता है। फिर भी हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम अपनी कार्यशैली में लगातार सुधार करें। अपने बैंकों की स्थिति मजबूत करें।

लेकिन हम कितना भी अच्छा काम करें। कितना भी जिम्मेदारी से काम करें। हमारे प्रति नियामक मण्डल का कहीं न कहीं अविश्वास बना ही रहता है। हम यह तो मानते हैं कि नियामक मण्डल की जिम्मेदारी है। हम यह भी समझते हैं कि नियामक मण्डल अपनी सोच शक से शुरू करता है। यह व्यवस्था भी हो सकती है और यह मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन हमारी यह अपेक्षा जरूर रहती है कि हमारी प्रतिबद्वता पर तो सन्देह न किया जाए।

इन दिनों एक विषय जोरों पर है कि हर बैंक में बोर्ड आफ मैनेजमैंट होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड आफ मैनेजमैंट कुछ तज्ञ लोंगों का होगा। वे लोग प्रोफैशनल्ज होंगे। इससे बैंक के काम में अधिक कुशलता आएगी आदि आदि। मैं इस सोच पर कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन पढ़े लिखों से प्रैक्टीकल अनुभव को कम नही आंकना चाहिए। यह एक सच्चाई है कि इस देश में उद्योग का जो विकास हुआ है उसकी शुरूआत किसी इन्जीनीयर या व्यवस्था के माहिर लोगो ने नहीं की थी। साधारण लोगों ने साधारण शुरूआत की और अपने धन्धे की उच्चाईयों तक पहुंचे। जिस प्रकार विशेषज्ञों को नजरंन्दाज नही किया जाना चाहिए उसी प्रकार अनुभवों को भी नकारना नहीं चाहिए।

बैंक का निर्देशक मण्डल सदस्यों द्वारा चुना हुआ निर्देशक मण्डल होता है। वे, सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह निर्देशक मण्डल हर समय, सदस्यों की निगाहों में रहता है छोटी सी भूल भी तुरन्त जग जाहिर हो जाती है। इसलिए निर्देशक मण्डल को हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। सावधान रहना पड़ता है। जब इस बोर्ड और सदस्यों के बीच एक बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट आ जाएगा, भले ही उसकी नियुक्ति निर्देशक मण्डल करेगा लेकिन जवाबदारी में अन्तर आ जाएगा। बोर्ड आफ मैनेजमैंट के आने से सता के दो केन्द्र बिन्दु बन जांऐगे। किसी भी परिवार में, समाज में, संस्थान में जब सता के दो केन्द्र बिन्दु होते हैं तो दोनों के बीच खीचतान की सम्भावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जब खींचतान होती है तो नुकसान होता है। सहकारी बैंक जनता के बैंक हैं। सदस्यों के रूप में जनता इनकी मालिक होती है। वही निर्णय करते हैं। वही प्रश्न पूछते हैं। वही समस्याओं का हल खोजते हैं। इसमें कोई नई व्यवस्था लागू करने से, व्यवधान भी आ सकते है।

इसलिए जो व्यवस्था है उसमें हमें विश्वास करना चाहिए। कोई गलती होती है तो वह ठीक करनी चाहिए। सुधार करना चाहिए लेकिन पूरी व्यवस्था बदलने के प्रयास करना शायद संगठन के हित में नही होगा।

सहकारी आंदोलन को, सहकारी ढंग से ही चलाया जाना चाहिए। यह एक नई अर्थ व्यवस्था का द्योतक है। इस का नियमों की चार दिवारी के अन्तर्गत प्राकृतिक विकास होने दिया जाए तो अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

हमारा बैंक ---हमारा गौरव !

अत्तर चंद परमार

मार्च 1960 में जब इस संस्था की नींव हमारे बुद्धिमान और दूरदर्शी बजुर्गो ने एक छोटी सी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के रूप में रखी थी तो शायद उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी की आने वाले वर्षो में यह संस्था एक के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश की राजधानी में सबसे बड़े सहकारी बैंक का खिताब हासिल कर लेगी। हमारी इस संस्था जिसे हम "दी काँगड़ा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड" के नाम से जानते हैं के साथ जुड़े होने के नाते अपने आप को बड़ा ही गौरवन्वित महसूस करते हैं। जब ये संस्था सत्तर के दशक में बैंक बनी और इसका काम काज अच्छे निपुण, ईमानदार और दूरदर्शी लोगो के हाथ में आया तब से ले कर आजतक संस्था ने अपनी चौमुखी विकास रूपी सीढ़ियों को बहुत ही कुशलता और शीघ्रता से चढ़ने में रिकार्ड सफलता हासिल की। वर्षो से हमारा बैंक अच्छे वित्तीय परिणाम देता रहा है और यह संतोष की बात है कि विपरीत आर्थिक स्थिति होने के वावजूद बैंक में इस बार भी अच्छे वित्तीय परिणाम आये जिनका संक्षिप्त ब्योरा इस लेख के माध्यम से मैं पत्रिका के प्रिय पाठकों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। जून महीने की मासिक बैठक में जब बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव धीर जी ने वर्ष 2017-18 के वित्तीय परिणाम बैलेंस- शीट तथा लाभ- हानि खाते सहित बोर्ड के सम्मुख बोर्ड की जानकारी और मंजूरी हेतु रक्खे और बैंक अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास जी तथा बैंक के मुख्य सल्लाहकार श्री बलदेव राज शर्मा जी द्वारा मुख्य अंशों को विशिष्ट रूप से उल्लेखित करने और आवश्यक स्पष्टीकरण देने के पश्चात पूरे बोर्ड ने बड़े ही गर्व से कुल मिलाकर संतोषजनक वार्षिक प्रदर्शन के लिए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बैंक के सभी ग्राहकों का धन्यवाद करते हुए प्रस्तुत एकाउंट्स तथा वित्तीय विवरण पर अपना अनुमोदन किया। पाठकों को पिछले तीन वर्षो के उत्साहवर्द्धक वित्तीय परिणामों से निम्नलिखित टेबल (TABLE) की सहायता से अवगत कराना चाह रहा हूँ ताकि वे स्वंय ये जानकारी इन आंकड़ों से ले सकें ।

गत तीन वर्षो के वित्तीय परिणाम (FINANCIAL RESULTS FOR THE LAST THREE YEARS)

Particulars	Year 2015-16	Year 2016-17	Year 2017-18	Increase over last year	Increase in %age over last year
Membership	40782	41459	42820	1361	3.28
Clientele other than membership)	132570	136594	139405	2811	2.06

मुख्य वित्तीय आंकडे (SALIENT FINANCIAL FIGURES)- Figures in Lakh.

Particulars	Year 2015-16	Year 2016-17	Year 2017-18	Increase over last year	Increase in %age over last year
Share Money	2765	3108	3509	401	12.9
Reserves / Other Funds	5717	6261	6737	476	7.6
Deposits	73676	92422	93752	1330	1.44
Loans / Advances	45993	49340	52724	3384	6.86
Working Capital	84401	104657	106424	1767	1.69
Net Profit Before Tax	1347	1416	1737	321	22.67
Net Profit after Tax	855	958	1198	240	25.05

31-03-2018 को शुद्ध NPA 2.32 प्रतिशत और CRAR 12.42 प्रतिशत रही और इन दोनों का काफी अंतर से निर्धारित सीमा के अंदर रहना अन्य बड़े बैंकों की तुलना में एक बहुत संतोषजनक उपलब्धि है। बैंक के शुद्ध लाभ (Net Profit) का 25 % की दर से बढ़ना बैंक के लिए बहुत ही संतोष की बात है। अच्छे हुए लाभ के वितरण का व्योरा आने वाली वार्षिक आम साधारण सभा में सभी सदस्यों की सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। सभी सदस्य आम सभा में बैंक के निदेशक मंडल तथा कर्मचारियों द्वारा किये गए अच्छे कार्य के प्रति अपना समर्थन तथा प्रोत्साहन देने हेतु ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं।

पाठकों को इस बात की जानकारी फिर से देना मैं जरुरी समझता हूँ की इसी वर्ष दो नई शाखाओं का खोलना, रोहिणी शाखा को सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट करना और तीसरी नई शाखा के लिए जगह लेना और इस वर्ष अप्रैल माह में वहां शाखा का खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। ये सभी उत्साह बढ़ाने वाले कार्य सदस्यों द्वारा चुने हुए अच्छे एवं कर्मठ प्रतिनिधियों तथा सभी कर्मचारियों के सहयोग और आप के लगातार मिल रहे विश्वास से ही संभव हो पाया है। बैंक में नई बैंकिंग सुविधाओं मसलन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि सम्पूर्ण विकसित CBS (Fully Developed CBS) के साथ शुभारंभ किया जायेगा। इस दिशा में बैंक अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रयत्न शीघ्र गति से किये जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा और लगातार हो रहे वित्तीय सुधारों के इस वातावरण में बैंकों को आगे बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हम आपको बिश्वास दिलाते हैं की आपका बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा की तरह तैयार है।

बैंक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सभी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ती तथा बैंक द्वारा चलायी गयी स्कीम्स (Schemes) जैसे बीमा (Insurance) करना, पैन कार्ड बनवाना इत्यादि का उपभोग जरूर करें और अन्य अच्छे ईमानदार और जरुरत मंद लोगो को सदस्य बनवा कर बैंक के विकास में जरुरी योगदान करें और इसकी लगातार हो रहे विकास में भागीदार बनें।

निःसंकोच गर्व से कहो हमारा बैंक ....हमारा गौरव !

Following are some of the important changes made in the existing LOAN RULES. Bank members may kindly make a note of it.

1. **Unsecured (surety) loans** –

   Present MCL for unsecured loan will be Rs. 3/- lacs

   All regular paymaster members can apply for fresh unsecured (surety) loan immediately after clearing the existing unsecured (surety) loan.

   New members to be eligible for unsecured loan (surety loan) after completing one month of membership.

   For Unsecured Loan repaying capacity will be calculated as given below :

   35% of take home salary / IT

   Example : If take home salary / ITR of a member is Rs. 20,000/- per month, then repaying capacity will be Rs. 20,000/- x 35% = Rs. 7000/-

   Eligible for Rs. 3/- lacs since EMI of Rs. 3/- lacs @ 13% ROI

   Rs. 2275x3= Rs. 6825

   If he has taken secured loan then eligible income will be

   Rs. 20,000 x 70% = Rs. 14,000/-

   If EMI for SL is Rs. 9000/- then balance income will be Rs. 5000/- and the member will be eligible for only Rs. 2/- lacs general loan.

   For income proof if affidavit is given or the salary certificate from office is not proper to the satisfaction of the Bank, the MCL of unsecured (surety) will be Rs. 2/- lacs only.

Surety for unsecured (surety) loan from a member in Government service having minimum 5 years remaining service/ **House Owner Member /** two regular pay master members.

2. <u>Secured Loans</u>

For secured loan eligibility no restriction of membership length.

The following types of secured loans can be considered :

i) **Vehicle Loans** - The maximum permissible loan limit would be 100% of the ex-showroom price of the vehicle. However, for good pay paymaster members having completed minimum 5 years membership may be given up to 100% of the ex-showroom price. Minimum one surety from a regular paymaster member of the Bank. Loan will be paid direct to the vendor/supplier/dealer. The loan will be considered on the performa invoice in favour of the member. Margin money and loan processing charges will be taken. Name of the bank will be written on the RC and the vehicle will be insured jointly with the bank during the continuation of the loan. **If the name of the vehicle could not be written on RC, disclaimer certificate should be obtained from the transport authority.** For company fitted CNG kit shown separately in the invoice the maximum permissible loan will be up to 80% of the cost of CNG kit. For private fitted CNG kits the maximum permissible limit will be up to 60%.

ii) For Transport vehicles (HMV & LMV both) maximum repayment period for Private vehicles loans will be 80 Months, for Commercial vehicles 60 months. At the time of executing the Loan Bond, the Loanee member may be asked to specify in how much EMIs he will repay the Loan.

iii) For regular paymaster members having completed minimum 10 years membership, normally no collateral security will be required for transport loans up to Rs. 50/- lacs. However, the Board/LC I may impose the condition of collateral security even for loans below Rs. 50/- lacs if there is any doubt for regular repayment. For transport loans above Rs. 50/- lacs, collateral security is invariably required. However, in case of mortgage of property as security, security coverage can be taken up to 100% of RV of the property and no personal surety would be taken. In special circumstances and on the merit of the case the condition of collateral security can be waived by the Board even for transport loans above Rs. 50/- lacs.

For transport loans, registration of vehicle has to be done invariably in Delhi. If a member wants to get the vehicle registered in NCR (Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon) he will have to provide collateral security of property situated at Delhi.

For transport loans if consecutively 3 installments were not paid then physical verification of the vehicle has to be done and a report to be submitted to AGM (CRD) to be placed at the High Power Committee or at Board Meeting for deciding necessary action.

iv) **Loan against property on the basis of property –**

Income to be taken as per Rule no. 35 (collateral security to be taken as per Rule no. 42) and within MCL of a member loan against property (LAP) can be considered providing a proper justification for loan to the satisfaction of the Bank is given.

Category I Property – The loanee member will be eligible for additional loan up to Rs. 5 lakhs after paying 6 regular EMIs. Further additional loan can be considered after a period of two years, if during this period the member has been regular in the repayments and there is scope in income and security of property. Copy of previous sanction should also be placed while putting up the proposal.

Category II Property – The first time loanee member will be eligible for additional loan up to Rs. 5 lakhs after paying 12 regular EMIs. Additional loan can be considered after a period of 3 years from the date of first loan provided, he has been regular in the repayments and there is scope in income and security of property.

v) . **The security coverage percentage of property will be as given below :**

NCTD : Category I (conveyance deed based). Maximum up to 50% of RV. For good paymaster members having completed ten years membership, relaxation up to maximum 5% can be given.

For other NCTD properties (Cat. II) : Maximum up to 40% of RV. For good paymaster members having completed ten years membership, relaxation up to maximum 5% can be given.

NCR : Only Category I property. Maximum up to 40% of RV. For good paymaster member having completed 10 years membership, relaxation up to maximum 5% can be given.

Where value of the property is up to Rs. 40/- lacs and the loanee member is regular paymaster of the previous loan having completed minimum 05 years membership, relaxation up to 10% can be given.

******

Date of Publication i.e. 13th-14th July, 2018 Reg. No. DELBIL/2013/50868

बैंक में लगभग पिछले 32 वर्षो से कार्यरत मुख्य प्रबंधक श्री राजेश शरमन जी 30 जून, 2018 को अपनी अच्छी सेवायें देने पश्चात् बैंक से सेवानिवृत हो गए। श्री राजेश शरमन सेवानिवृत होने से पहले पहाड़गंज शाखा में कार्यरत रहे। सेवानिवृत होने के समय बैंक में एक "फेयरवेल" समारोह का आयोजन किया। जिसमे बैंक के अध्यक्ष, मुख्य सलाहकार सहित अन्य बैंक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों ने श्री राजेश शरमन जी का स्वागत करते हुए उनके द्वारा दी गयी सेवाओं के प्रति धन्यवाद किया। समारोह की कुछ झलकियां.....

Printed and Published by A C Parmar on behalf of The Kangra Co-operative Bank Limited and printed at Royal Impression, 94, State Bank Nagar, Paschim Vihar, New Delhi-110063 and published at B-702, Mahalaxmi Apartments, Plot # 4, Sector-2, Dwarka , New Delhi-110075. Editor: B R Sharma